न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 375/2025

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. रामस्वरूप पुत्र बस्तीराम 2. सुमन पत्नी प्रेमसिंह 3. यश पुत्र प्रेमसिंह (जाति माली, निवासी ग्राम बासनी मालियान, तहसील व जिला जोधपुर)		1. प्रभुदयाल पुत्र कानाराम 2. युधिस्टर पुत्र कानाराम 3. ढलजी पुत्र भीखजी 4. जयसिंह पुत्र भीखजी 5. बह्मसिंह पुत्र दयाराम 6. श्यामसिंह पुत्र दयाराम 7. ओमप्रकाश पुत्र दयाराम (जाति माली, निवासी बासनी मालियान, जोधपुर) 8. रामसिंह पुत्र गुलाबसिंह देवडा (जाति माली, निवासी नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर) 9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश कमांकः राज./25 दिनांक 14.6.24 द्वारा लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर का प्रस्ताव कमांकः भू.अ./DILRMP/2022/3202 दिनांक 11.06.2024

उपस्थित–
1. श्री रोशनलाल वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 9 की ओर से
3. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 1-12-25.

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) द्वारा जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य के दौरान तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर, एक्ट के तहत ग्राम बासनी मालियान के खसरा एकीकरण प्रस्ताव में पारित आदेश कमांकः राज./25 दिनांक 14.06.24 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 9–तहसीलदार जोधपुर द्वारा DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य व वन टू वन मेपिंग कार्य के मध्यनजर मौका स्थिति व रेकर्ड अनुसार रेकर्ड/खसरा नम्बर दुरूस्ती के प्रस्ताव तैयार कर सूची अनुसार निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) को भिजवाया गया। जिसमें क0सं0 1 पर खाता संख्या 51 में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 7, 15, 19, 20, 31, 61, 105, 118, 122 कुल खसरा 9 कुल रकबा 15.09 बीघा में दर्ज हिस्सा परिवर्तित कर रेस्पो0सं0 1 से 8 के खसरा नम्बर 7/1, 15/1, 19/1, 20/1, 31/1, 61/1, 105/1, 118/1, 122/1 कुल खसरा 9 रकबा 15.09 बीघा का खसरा एकीकरण कर, राजस्व रिकॉर्ड में अंकन प्रस्तावित किया गया। जिसे उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) द्वारा अपीलाधीन आदेश क्रमांकः राज/25 दिनांक 14.6.24 द्वारा स्वीकार कर प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित खसरों को मर्ज कर, रिकॉर्ड/खसरा दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 9–तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन में जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शों में दर्ज खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरों के रिकार्ड मौका व नक्शें में भिन्नता आ रही है या बेचान से छोटे–छोटे हिस्सों में बंटने से जिनके नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा/आवंटन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नही होने के कारण इनकी दिशा एवं स्थिति स्पष्ट नही है, उनकी तरमीम किया जाना संभव नही है। अतः उनको मूल खसरे में एकीकरण करने के प्रस्ताव में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 7, 15, 19, 20, 31, 61, 105, 118, 122 कुल खसरा 9 कुल रकबा 15.09 बीघा में दर्ज हिस्सा परिवर्तित कर रेस्पो0सं0 1 से 8 के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरा नम्बर 7/1, 15/1, 19/1, 20/1, 31/1, 61/1, 105/1, 118/1, 122/1 कुल खसरा 9 रकबा 15.09 बीघा का खसरा एकीकरण कर, कुल रकबा खसरान 30.18 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन प्रस्तावित किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश कमांक 25 दिनांक 14.6.24 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जबकि आलौच्य प्रकरण में मूल खसरा नम्बर 7, 15, 19, 20, 31, 61, 105, 118, 122 कुल रकबा 31.16 बीघा का बंटवाडा, इसके सह–खातेदारान द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार उपरोक्त खसरान को दो हिस्सो मे बांटते हुए बाई मिन्ट्स व बाउण्ड्स पक्षकारान के मध्य जरिये निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2000 द्वारा किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार नक्शा भी तैयार किया गया तथा माफिक निर्णय बंटवाडे का नामान्तरकरण संख्या 184 तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसमें उक्त खसरान को बट्टा नम्बरों में विभाजित कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किया गया। इस कारण सेग्रीगेशन की कार्यवाही में उक्त खसरान का पुनः एकीकरण नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकीकरण से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। बंटवाडा आदेश में ही पक्षकारान के मध्य बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार नक्शा भी बनाया गया, जिसमें हिस्से तय करते हुए अलग–अलग स्थान पर कब्जा काश्त तय किया गया, जो उसी अनुसार मौके पर काबिज है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि राज्य सरकार की महत्वांकांक्षी DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी व नक्शे में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान में, जिन खसरों में रिकार्ड मौका तथा नक्शों में भिन्नता आ रही थी यथा (एक खातेदार के खसरा नम्बर में एक से अधिक जगह कब्जा है, जबकि जमाबंदी में एक ही बट्टा नम्बर डाला हुआ है, विभाजन से प्राप्त एवं जमाबंदी में दर्ज खसरा नं0 से भिन्न खसरा नम्बर पर कब्जा है) उन खातों तथा खसरा नम्बरों को सही करने हेतु दुरूस्ती प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तावित किया गया, जिस पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

शेष रेस्पो0 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे, जिससे यह प्रतीत है कि उन्हें उक्त अपील द्वारा वांछित अनुतोष में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में वकील अपीलांट का कथन है कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तावित खसरा एकीकरण के प्रस्ताव में अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य, राजस्व वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2000 की पालना में पारित ना0क0सं0 184 के द्वारा मूल खसरान को बट्टा नम्बरान में विभक्त कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किया गया तथा बंटवाडा आदेश में ही पक्षकारान के मध्य बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार नक्शा भी बनाया गया, जिसमें हिस्से तय करते हुए अलग –अलग स्थान पर कब्जा काश्त तय किया गया तथा जो उसी अनुसार मौके पर काबिज है। अपील के साथ ना0क0सं0 184 एवं जमाबंदी संवत् 2059–62, वास्तविक संवत् 2059 दिनांक 11.05.2004 तथा तहसीलदार जोधपुर के पत्रांकः राजस्व/ 2000 /1739 दिनांक 05.09.2000 द्वारा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रेषित प्राथमिक डिगरी में बंटवाडा प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की गई। जिससे साबित है कि उक्त खसरान का राजस्व रेकर्ड–जमाबंदी में अंकन, विभाजन के वाद में उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 18.12.2000 के अनुसार जरिये बंटवाडे का ना0क0सं0 184 किया गया है। जिसे खसरा एकीकरण के प्रस्ताव द्वारा पुनः मूल खसरान में मर्ज किया जाना किसी सूरत में विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः राज./25 दिनांक 14.06.24 एवं तहसीलदार जोधपुर द्वारा दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि कमांकः भू.अ./DILRMP/2022/3202 दिनांक 11.06.24 निरस्त किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 1-12-25. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

1/12/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर